सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर

क्रमांक : रीडर / 2020 / १७०-१७५ दिनांक :04.05.2020

आम सूचना

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक–17 / पीआई. / 2020 दिनांक 02.05.2020 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी दिशा–निर्देशो की अनुपालना में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी,

1. जमानत प्रार्थना–पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश / स्थगन संबंधी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. / मृत्युकालीन कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी / फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं, उनमें सुनवाई की तिथि	आगामी नियत तिथि	
		दीवानी	फौजदारी
04.05.2020	18.05.2020	09.07.2020	11.06.2020
05.05.2020	19.05.2020	10.07.2020	12.06.2020
06.05.2020	20.05.2020	13.07.2020	15.06.2020
07.05.2020	21.05.2020	14.07.2020	16.06.2020
08.05.2020	22.05.2020	15.07.2020	17.06.2020
11.05.2020	22.05.2020	16.07.2020	18.06.2020
12.05.2020	26.05.2020	17.07.2020	19.06.2020
13.05.2020	27.05.2020	18.07.2020	20.06.2020
14.05.2020	28.05.2020	20.07.2020	22.06.2020
15.05.2020	29.05.2020	21.07.2020	23.06.2020
16.05.2020	30.05.2020	22.07.2020	24.06.2020

परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जावेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अति आवश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अति आवश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

04.05.2020
न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजाखेड़ा (धौलपुर)

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी। परन्तु यह प्रयास किया जावें कि उक्त स्थिति में केवल और केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवें।

04.05.2020

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजाखेड़ा, जिला धौलपुर (राज.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रतिलिपिः—

01. प्रति वास्ते सूचनार्थ श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
02. प्रति वास्ते सूचनार्थ श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
03. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, राजाखेड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण को सूचित करावें और समस्त अभिभाषकगणों से भी अनुरोध है कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीख की सूचना मोबाईल आदि से दें, ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
04. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित की जावें, ताकि न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावें।
05. सूचना की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावें।
06. कार्यालय प्रति।

04.05.2020

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजाखेड़ा, जिला धौलपुर (राज.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजाखेड़ा (धौलपुर)